

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
पूसा(समस्तीपुर)-848125, बिहार

पत्रांक- 62/02स्था/विधि/17/2022/रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा,

दिनांक 18/01/2023

प्रेषक,

उप कुलसचिव(स्था0)
रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।

सेवा में,

सभी अधिष्ठाता/सभी निदेशक, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
कुलसचिव/नियंत्रक, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
सभी विभाग प्रधान/कार्यालय प्रधान/नियंत्री पदा0, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
सभी वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृषि विज्ञान केन्द्र।
कुलपति के सचिव, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
सभी प्रभारी पदाधिकारी, केन्द्र/उपकेन्द्र, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
प्रशासक विश्वविद्यालय अस्पताल, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
सभी सह निदेशक, अनुसंधान एवं II/शिक्षा, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
सभी नियंत्री पदाधिकारी, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
उप कुलसचिव(नियुक्ति), रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
सहायक कुलसचिव(स्था0), रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, विश्वविद्यालय अस्पताल, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
प्रभारी गोपनीय शाखा, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
प्रभारी, एरिस सेल, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
अधीक्षक, केन्द्रीय कर्मशाला, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
प्रभारी, बाह्य परीक्षा एवं मूल्यांकन कोषांग, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
प्रभारी पदा0, पशु उत्पादन शोध संस्थान/पशुधन इकाई/सुरक्षा शाखा/संपदा शाखा, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।
सभी प्रभारी पदाधिकारी, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र।

विषय:- विश्वविद्यालय में कार्यरत ग्रुप 'ए', 'बी' एवं 'सी' वर्ग के कर्मियों को प्रत्येक वर्ष अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त वर्णित विषय के संबंध में सी0सी0एस0(आचरण) नियम 1964 में निर्धारित प्रपत्र में सी0सी0एस0(आचरण) नियम 18(4) के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत ग्रुप 'ए', 'बी' एवं 'सी' वर्ग के कर्मियों को प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक का अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो उसने स्वयं प्रस्तुत की है, उसे वंशानुगत रूप से मिली है अथवा उसने लीज पर ली है या फिर कोई भी सम्पत्ति अपने नाम पर अथवा अपनी पत्नी, बच्चों, सौतेले बच्चों अथवा अपने परिवार के किसी भी ऐसे सदस्य के नाम, जो उस पर पूरी तरह से आश्रित है, के नाम पर, गिरवी रखी है, निर्धारित तिथि 31 जनवरी तक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि उपरोक्त तिथि तक विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें (i) सतर्कता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। (ii) अन्य नौकरी हेतु समर्पित आवेदन पत्र को अग्रसारित नहीं किया जाएगा। (iii) प्रौन्नति और ए0सी0पी/एम0ए0सी0पी0 के वित्तीय उन्नयन पर विचार नहीं किया जाएगा और (iv) परीक्ष्यमान अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी सेवा संपुष्टि पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक:- विहित प्रपत्र

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी, एरिस सेल, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा को विश्वविद्यालय वेब साईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित।
2. गॉर्ड फाइल, स्थापना शाखा, रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा।

कार्बन प्रति:- कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय को सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

उप कुलसचिव(स्था0)

18/01/23

वार्षिक अचल सम्पत्ति रिटर्न
ANNUAL IMMOVABLE PROPERTY RETURN

31.12.2022(01.01.2023 तक)के लिए अचल सम्पत्ति का विवरण
Statement of immovable property for the year 31.12.2022(As on 01.01.2023)

1. सम्बन्धित अधिकारी का नाम (पूरा) तथा सेवा
Name of officer (in full) and service to which the officer belongs

2. वर्तमान पद Present post held

3. वर्तमान वेतन Present pay

जिला उपखंड, गावुक एवं गांव का नाम जहाँ सम्पत्ति है Name of District Sub-Division Taluk & Village in which property is situated	सम्पत्ति का नाम एवं विवरण Name & Details of property		* वर्तमान कीमत * Present Value	यदि आपके नाम नहीं है तो किसके नाम है तथा सरकारी कर्मचारी से उसका सम्बन्ध If not in own name state in whose name held & his/her relationship to the Govt. Servant	किस प्रकार प्राप्त की? क्या खरीदी है, पट्टे पर है, गिरवी है, पुरवैनी उपहार है अथवा अन्य। प्राप्त की तिथि तथा जिस व्यक्ति/व्यक्तियों से प्राप्त की उनका नाम एवं पूर्ण विवरण How acquired whether by purchase, lease** , Mortgage, inheritance gift or otherwise, with date of acquisition and name with details of person /persons from who acquired	सम्पत्ति से वार्षिक आय Annual income from the property	टिप्पणी Remark
	आवासीय एवं अन्य भवन Housing and other buildings	भूमि Lands					

हस्ताक्षर Signature
तिथि Date

1. Inapplicable clause to be struck out.

2. *In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present condition may be indicated.

3. Includes short-term lease also.

4. The wording "No Change or No addition or as in previous year" may be avoided and all details filled up

**Note- The declaration form is required to be filled in and submitted under Rule 18(3) of the CCS (Conduct) Rules, 1995, (Now the Rule 18(1) of the CCS(Conduct) Rules, 1964) on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him/her or held by him/her on lease or mortgage, either in his/her own name or in the name of any member of his/her family or in the name of any person.